

आदेश

मुख्यालय के आदेश संख्या: डीजी-चार-स्था0-307/2025/744 दिनांक 04.07.2025 द्वारा मु0आ0ना0पु0 पीएनओ 112242451 राशिद खां का जनपद बागपत से राजकीय रेलवे पुलिस मुख्यालय, उ0प्र0 लखनऊ किया गया स्थानान्तरण कर्मी की माताजी की बीमारी के दृष्टिगत विशेष परिस्थिति में तात्कालिक प्रभाव से निरस्त किया जाता है।

यह आदेश "पुलिस स्थापना बोर्ड" के कार्यवृत्त संख्या: एसपी-(ई-1)-जनहित-442/2025 दिनांक 18.08.2025 में लिये गये निर्णय के अनुसार जारी किया जा रहा है।

DGP HQRS UP LKW



DG-TV-STHA-442/2025/1037 DT 18-08-2025

(राहुल मिश्रा)

अपर पुलिस अधीक्षक, स्थापना
कृते पुलिस उपमहानिरीक्षक, कार्मिक
उ0प्र0, लखनऊ।

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

चतुर्थ तल, (द्वितीय टावर), पुलिस मुख्यालय, सेक्टर-7, गोमतीनगरविस्तार, उ0प्र0 लखनऊ-226002
संख्या: डीजी-चार-स्था0-442-2025/1037 दिनांक: अगस्त 18, 2025
प्रतिलिपि:— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:—

1. अपर पुलिस महानिदेशक, राजकीय रेलवे पुलिस मुख्यालय, उ0प्र0 लखनऊ।
2. अपर पुलिस महानिदेशक, मेरठ जोन मेरठ।
3. पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक, मेरठ परिक्षेत्र मेरठ।
4. पुलिस अधीक्षक, जनपद बागपत।

संख्या तथा दिनांक वही

प्रतिलिपि:— निम्नलिखित को कृपया सादर सूचनार्थ प्रेषित:—

1. पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।
2. पुलिस महानिरीक्षक, स्थापना, मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ।

आदेश

जीआरपी में विद्यमान रिक्तियों की पूर्ति हेतु पुलिस अधीक्षक, जनपद बागपत द्वारा उपलब्ध कराये गये नामांकन के क्रम में मु0आ0ना0पु0 पीएनओ 152420510 दीपक कुमार का जनहित के आधार पर जनपद बागपत से 03 वर्ष के लिये राजकीय रेलवे पुलिस मुख्यालय उ0प्र0 लखनऊ तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है, तथा आगमन की तिथि से 03 वर्ष की समाप्ति के उपरान्त राजकीय रेलवे पुलिस में विद्यमान रिक्तियों के दृष्टिगत आगमन के वरिष्ठताक्रम में कर्मी को अपर पुलिस महानिदेशक, रेलवे उ0प्र0, लखनऊ द्वारा उनके गहन (मूल) जनपद में वापस किया जायेगा।

यह आदेश "पुलिस स्थापना बोर्ड" के कार्यवृत्त संख्या: एएसपी-(ई-1)-जनहित-442/2025 दिनांक 18.08.2025 में लिये गये निर्णय के अनुसार जारी किया जा रहा है।

DGP HQRS UP LKW



DG-IV-STHA-442/2025/1038 DT 18-08-2025

(राहुल मिश्रा)

अपर पुलिस अधीक्षक, स्थापना
कृते पुलिस उपमहानिरीक्षक, कार्मिक
उ0प्र0, लखनऊ।

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

चतुर्थ तल, (द्वितीय टावर), पुलिस मुख्यालय, सेक्टर-7, गोमतीनगरविस्तार, उ0प्र0 लखनऊ-226002
संख्या: डीजी-चार-स्था0-442-2025/1038 दिनांक: अगस्त 18, 2025
प्रतिलिपि:— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:—

1. अपर पुलिस महानिदेशक, राजकीय रेलवे पुलिस मुख्यालय, उ0प्र0 लखनऊ को उपरोक्त सन्दर्भ में इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि उक्त पुलिस कर्मी के आगमन की सूचना से सर्वसम्बन्धित को अवगत कराने का कष्ट करें। साथ ही उक्त कर्मी द्वारा जिस जनपद का निर्धारित कार्यकाल पूर्ण कर लिया गया है उसे उस जनपद में स्थित जीआरपी अनुभाग में नियुक्त न किया जाये। यदि कोई नीतिगत बाधा हो तो इस मुख्यालय को अवगत कराने का कष्ट करें।
2. अपर पुलिस महानिदेशक, मेरठ जोन मेरठ।
3. पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक, मेरठ परिक्षेत्र मेरठ।
4. पुलिस अधीक्षक, जनपद बागपत को इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि कृपया उक्त कर्मी को तत्काल राजकीय रेलवे पुलिस हेतु 10 दिवस के अन्दर कार्यमुक्त करने का कष्ट करें। यदि उक्त कर्मी अन्यत्र जनपद के लिये स्थानान्तरणाधीन है तो उसे जीआरपी हेतु ही कार्यमुक्त किया जायेगा तथा जीआरपी का कार्यकाल पूर्ण होने के उपरान्त गहन जनपद में वापस आने पर ही स्थानान्तरित जनपद हेतु कार्यमुक्त किया जाय। साथ ही उक्त सम्बन्ध में सम्बन्धित जनपद को वस्तुस्थिति से अवगत करा दिया जाय। यदि कोई नीतिगत बाधा हो तो इस मुख्यालय को अवगत कराने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनांक वही

प्रतिलिपि:— निम्नलिखित को कृपया सादर सूचनार्थ प्रेषित:—

1. पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।
2. पुलिस महानिरीक्षक, स्थापना, मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ।

आदेश

मुख्यालय के आदेश संख्या: डीजी-चार-स्था0-299/2025/731 दिनांक 30.06.2025 द्वारा उ0मि0ना0पु0 पीएनओ 182469406 परवेज अन्सारी का कमिश्नरेट लखनऊ से राजकीय रेलवे पुलिस मुख्यालय, उ0प्र0 लखनऊ किया गया स्थानान्तरण विशेष परिस्थितियों में तात्कालिक प्रभाव से निरस्त किया जाता है।

यह आदेश "पुलिस स्थापना बोर्ड" के कार्यवृत्त संख्या: एसपी-(ई-1)-जनहित-442/2025 दिनांक 18.08.2025 में लिये गये निर्णय के अनुसार जारी किया जा रहा है।

DGP HQRS UP LKW



DG-IV-STHA-442/2025/1039 DT 18-08-2025

(राहुल मिश्रा)

अपर पुलिस अधीक्षक, स्थापना
कृते पुलिस उपमहानिरीक्षक, कार्मिक
उ0प्र0, लखनऊ।

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

चतुर्थ तल, (द्वितीय टावर), पुलिस मुख्यालय, सेक्टर-7, गोमतीनगरविस्तार, उ0प्र0 लखनऊ-226002
संख्या: डीजी-चार-स्था0-442-2025/1039 दिनांक: अगस्त 18, 2025

प्रतिलिपि:— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:—

1. अपर पुलिस महानिदेशक, राजकीय रेलवे पुलिस मुख्यालय, उ0प्र0 लखनऊ।
2. पुलिस आयुक्त, कमिश्नरेट लखनऊ।

संख्या तथा दिनांक वही

प्रतिलिपि:— निम्नलिखित को कृपया सादर सूचनार्थ प्रेषित:—

1. पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।
2. पुलिस महानिरीक्षक, स्थापना, मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ।

आदेश

जीआरपी में विद्यमान रिक्तियों की पूर्ति हेतु पुलिस आयुक्त, कमिश्नरेट लखनऊ द्वारा उपलब्ध कराये गये नामांकन के क्रम में उ0नि0ना0पु0 पीएनओ 182469451 अरुण कुमार का जनहित के आधार पर कमिश्नरेट लखनऊ से 03 वर्ष के लिये राजकीय रेलवे पुलिस मुख्यालय उ0प्र0 लखनऊ तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है, तथा आगमन की तिथि से 03 वर्ष की समाप्ति के उपरान्त राजकीय रेलवे पुलिस में विद्यमान रिक्तियों के दृष्टिगत आगमन के वरिष्ठताक्रम में कर्मी को अपर पुलिस महानिदेशक, रेलवे उ0प्र0, लखनऊ द्वारा उनके गहन (मूल) जनपद में वापस किया जायेगा।

यह आदेश "पुलिस स्थापना बोर्ड" के कार्यवृत्त संख्या: एएसपी-(ई-1)-जनहित-442/2025 दिनांक 18.08.2025 में लिये गये निर्णय के अनुसार जारी किया जा रहा है।

DGP HQRS UP LKW



DC-IV-STHA-442/2025/1040 DT 18-08-2025

(राहुल मिश्रा)

अपर पुलिस अधीक्षक, स्थापना
कृते पुलिस उपमहानिरीक्षक, कार्मिक
उ0प्र0, लखनऊ।

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

चतुर्थ तल, (द्वितीय टावर), पुलिस मुख्यालय, सेक्टर-7, गोमतीनगरविस्तार, उ0प्र0 लखनऊ-226002
संख्या: डीजी-चार-स्था0-442-2025/1040 दिनांक: अगस्त 18, 2025
प्रतिलिपि:— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:—

1. अपर पुलिस महानिदेशक, राजकीय रेलवे पुलिस मुख्यालय, उ0प्र0 लखनऊ को उपरोक्त सन्दर्भ में इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि उक्त पुलिस कर्मी के आगमन की सूचना से सर्वसम्बन्धित को अवगत कराने का कष्ट करें। साथ ही उक्त कर्मी द्वारा जिस जनपद का निर्धारित कार्यकाल पूर्ण कर लिया गया है उसे उस जनपद में स्थित जीआरपी अनुभाग में नियुक्त न किया जाये। यदि कोई नीतिगत बाधा हो तो इस मुख्यालय को अवगत कराने का कष्ट करें।
2. पुलिस आयुक्त, कमिश्नरेट लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि कृपया उक्त कर्मी को तत्काल राजकीय रेलवे पुलिस हेतु 10 दिवस के अन्दर कार्यमुक्त करने का कष्ट करें। यदि उक्त कर्मी अन्यत्र जनपद के लिये स्थानान्तरणाधीन है तो उसे जीआरपी हेतु ही कार्यमुक्त किया जायेगा तथा जीआरपी का कार्यकाल पूर्ण होने के उपरान्त गहन जनपद में वापस आने पर ही स्थानान्तरित जनपद हेतु कार्यमुक्त किया जाय। साथ ही उक्त सम्बन्ध में सम्बन्धित जनपद को वस्तुस्थिति से अवगत करा दिया जाय। यदि कोई नीतिगत बाधा हो तो इस मुख्यालय को अवगत कराने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनांक वही

प्रतिलिपि:— निम्नलिखित को कृपया सादर सूचनार्थ प्रेषित:—

1. पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।
2. पुलिस महानिरीक्षक, स्थापना, मुख्यालय पुलिस महानिदेशक